

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

तहसील अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

दिनांक संख्या - 137/29 प्रा.पत्र

श्रीमती कौशल्यादेवी पं० श्री राकेश राजा बिड़ला निवासी. माण्डल तहसील

प्राथी

बनाम

श्री प्रभु पं० श्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी. कोचरिया तहसील माण्डल [वर्ग 1]
(सहायक पत्र संख्या 10)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक:- 21-5-24

आदेशः

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नाम कौशल्या पटवार हल्का मेडा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 147/4 कुल विस्त 01 रकबा 2.5799 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जाता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


अतः प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23-06-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अन्तर्गत धारा से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का आदेश जारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रकरण की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर नाम कौशल्या पटवार हल्का मेडा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 147/4 कुल विस्त 01 रकबा 2.5799 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेडा को 1000 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


अधिकारी
माण्डल

नियम - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल